ANNEXURE-III

एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड, कॉरपोरेट मुख्यालय, शक्ति सदन, शिमला, हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्या: 744/1 और 748, कुल क्षेत्रफल 04–83–07 हैक्टेयर (निजी भूमि, नदी पट्टा), मोहाल बाग, मौजा आलमपुर, तहसील जैसिंहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह (लघू खनिजों के खनन)/81,000 एमटीपीए के प्रस्ताव पर दिनांक: 09.01.2023 को सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई का आयोजन संबंधी कार्यवाही का विवरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 09.01.2023 को प्रातः 11:30 बजे सामुदायिक भवन ग्राम पंचायत आलमपुर, तहसील जैसिंहपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश में एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड, कॉरपोरेट मुख्यालय, शक्ति सदन, शिमला, हि0प्र0 द्वारा खसरा संख्या: 744/1 और 748, कुल क्षेत्रफल 04–83–07 हैक्टेयर (निजी भूमि, नदी पट्टा), मोहाल बाग, मौजा आलमपुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश में रेत, बजरी व पत्थर के खनन व संग्रह (लघू खनिजों के खनन), 81,000 एमटीपीए के प्रस्ताव पर सार्वजनिक सुझाव, विचार, टिप्पणियों एवं आपतियां बारे पर्यावरण जनसुनवाई अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला कांगडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्नक–1 पर उपलब्ध है। इस जन–सुनवाई के दौरान नायब तहसीलदार आलमपुर, उधोग विभाग धर्मशाला, खनन विभाग, जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, स्वास्थय विभाग, पुलिस विभाग व विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे। श्रीमति शकुन्तला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत आलमपुर, व सदस्य ग्राम पंचायत आलमपुर व स्थानीय जनता भी जनसुनवाई में उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम ई0 वरूण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियंता, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रंण बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उददेश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रकिया आरंभ की गई और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा भी परियोजना की जन सुनवाई की पृष्ठ भूमि के आयोजन के उददेश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत करवाया गया। और कहा गया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो वे निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त कर सकते हैं। इसके उपरान्त परियोजना के परामर्शदाता को परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाने हेतू कहा गया ।

परियोजना के परामर्शदाता श्री साहिल सूद द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव आंकलन व निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत करवाया गया ।

इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई । जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुददों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र. सं.	नाम व पता	मुददे	उठाए गए मुददों पर टिप्पणी
1	श्री भरत भूषण, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से खनन करने बारे पूछा?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि वैज्ञानिक खनन में हिमाचल सरकार के नियमानुसार 1 मीटर से ज्यादा खनन नही होगा। इस नदी की चौडाई 300 मीटर से 400 मीटर है। अतः एक किनारे से 10वे हिस्से या किनारों से 40 मीटर तक खनन नही किया जाएगा। अतः आपका घर भी इस क्षेत्र से बाहर होगा, तो वैज्ञानिक तरीके से खनन करने पर आपके घर को कोई भी नुकसान नही होगा।
		उन्होंने कहा कि जैसा कि बताया गया कि यह खनन क्षेत्र पुल के 600 मीटर है, मेरा रिहायशी क्षेत्र इस खनन क्षेत्र के साथ लगता है और हमारी जमीन पहले ही खनन के कारण वर्बाद हो चुकी है। आप इसे मौके पर चलकर देख सकते है। इससे मेरे रिहायशी क्षेत्र को नुकसान हो सकता है।	

		मैं बताना चाहता हूं कि खनन क्षेत्र के प्रस्तावित खसरा न0 744 व 748 मेरे घर के बिल्कुल नजदीक है और खनन के कारण यहां पहले ही भूस्खलन हो चुका है। इससे जो रिहायशी क्षेत्र प्रभावित हो रहा है इसके बारे आप क्या सुनिश्चित करते है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यदि आपका घर नदी के साथ है, तो भी किनारों से 40 मीटर तक खनन नहीं होगा। और यदि खनन 1 मीटर से ज्यादा होता है या ज्यादा खडडे होगें, तो आप उसकी शिकायत खनन विभाग से कर सकते है।
		यहा पहले से ही खनन हो रहा है और हमने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है पर कोई कार्यवाही नही हुई है। आप मौके पर जा कर स्थिति देख सकते हैं।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि आप उसकी शिकायत खनन विभाग से कर सकते है।
2	श्रीमति शकुन्तला देवी, प्रधान, ग्राम पंचायत आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय व उपस्थित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं स्थानीय निवासियों का धन्यवाद किया और पूछा कि यह खनन क्शर के द्वारा होगा या यहां से केवल सामान को ले जाया जाएगा या इसे लीज पर दिया जाएगा। यहां सिचांई की परियोजनाएं व कुल्हें हैं। मैने रात को खनन करने के लिए चालान करवाए हैं। यहां खड्डे नहीं पडने चाहिए और नियमों के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। मेरे साथ गांव के लोग भी यहां पर उपस्थित है, उनके पशुचरागाह भी यहां पर हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यहां केवल खनन का कार्य किया जाएगा। क्शर यहां से 30 कि0मी0 दूर डेम की साईट पर है।
3	श्री भरत भूषण, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने पूछा कि खनन केवल दर्शाए गये खसरा न0 में होगा? मेरे ध्यान में है कि एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड ने निकटवर्ती क्षेत्र भी खरीदा है, तो आप कैसे सुनिश्चित करेगें कि खनन केवल उसी खसरा न0 में ही होगा। इसके अतिरिक्त यहां पर दो से तीन सिचांई परियोजनाऐं है और यह सभी परियोजनाएं इस खनन से प्रभावित होगीं इसके बारे में बताएं?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन केवल प्रस्तावित खसरा संख्याः 744/1 और 748 में ही किया जाएगा और नदी के किनारों से 30 से 40 मीटर छोडकर खनन किया जाएगा। यह खनन सामग्री 81,000 एमटीपीए है, इससे ज्यादा खनन करने पर एम फार्म नहीं होगें, जिससे चालान होगा। पानी की परियोजना बारे में बताना चाहता हूं कि इन प्रस्तावित खसरा नम्बरों का संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धित विभागों द्वारा किया जा चुका है और सम्बन्धित विभागों द्वारा यहां खनन करने हेतू अनापत्ति प्रदान की गई है। यहां से पानी की परियोजना 300 मीटर दूरी पर है, इसलिए इस प्रस्तावित परियोजना से पेयजल परियोजना को कोई नुकसान नहीं होगा।
4	श्रीमति शकुन्तला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत आलमपुर, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि खड्ड का पानी दूसरी छोर पर आ गया है, यदि आप 30 मीटर छोड़कर खनन करते हैं तो पानी घरों के पास आ जाएगा।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन का कार्य सूखे क्षेत्र में होगा, पानी वाले क्षेत्र में खनन नहीं होगा और यह खनन केवल 3 से 4 बर्ष के लिए है। डैम का कार्य पूर्ण होने के बाद यह खनन बंद हो जाएगा। यह सरकार की परियोजना है और परियोजना

			के पूर्ण होने के बाद यह खनन बंद हो जाएगा।
5	श्री भरत भूषण, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगडा हि0प्र0।	श्री भरत भूषण ने बताया कि मेरा घर इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नजदीक है और मुझे पहले ही खनन से काफी नुकसान हो चुका है अतः मेरा प्रश्न इस बारे बिल्कुल सही है।	————————
		अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री भरत भूषण से पूछा गया कि आपका घर इस खनन क्षेत्र से कितनी दूरी पर है।	श्री भरत भूषण द्वारा बताया गया कि मेरा घर इस खनन क्षेत्र से 40 से 50 मीटर के दायरे में आता है और इस क्षेत्र में पहले से ही भू–स्खलन हो रहा है। निरीक्षण के पश्चात आपको स्थिति ज्ञात हो जाएगी कि मेरा प्रश्न सही है। इसके अतिरिक्त यहां पर पहले ही खनन हो रहा है।
		अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन विभाग के अधिकारी से इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के हेतू कहा गया।	खनन विभाग के अधिकारी ने कहा कि हमें खसरा नम्बर के बारे में बताया जाए तो उसका निरीक्षण किया जा सकता है।
		श्री भरत भूषण द्वारा बताया गया कि वर्तमान में तो खनन हो रहा है और उसे किसी द्वारा भी स्वीकृत नहीं किया गया है, तो वह खनन कैसे हो रहा है। उन्होंने पूछा कि प्रस्तावित परियोजना के खसरा न0 पर अभी आंबटन होना है, तो जो खनन अभी हो रहा है तो उसे आपने पहले ही स्वीकृत कर दिया है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि अभी खनन नही हो रहा है, केवल खसरा न0 का आंबटन हुआ है।
		उन्होंने कहा कि खनन अभी भी हो रहा है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह खनन अवैध हो सकता है या किसी ओर का आंबटित खनन पटटा हो सकता है। और इस परियोजना के प्रस्तावित खसरा न0 में कोई भी खनन नहीं हो रहा है।
6	श्री सुरजीत सिह, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि खसरा न0 429 व 742 का क्षेत्र डेम में चला गया है और उस क्षेत्र को डेम को हस्तांरित भी कर दिया है। परन्तु वहां से भी सारा पत्थर उठा लिया गया है इस बारे में बताया जाए?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्र का खसरा न0 429 व 742 नहीं है बल्कि 744/1 और 748 है।
		उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्र के साथ है और वहां से सारा पत्थर उठा लिया गया है।	खनन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत दर्ज नही करवाई गई है।
		अध्यक्ष महोदय द्वारा खनन विभाग के अधिकारी को मौके पर शिकायत को दर्ज करने व इसका निरीक्षण कर स्थिति स्पष्ट करने हेतू निर्देश दिए गये।	

7	श्री भरत भूषण, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने पूछा कि जहां खनन हो रहा है और इसे एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड द्वारा खरीद लिया है तो हम जानना चाहते है कि यह खनन एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड करवा रहा है या कोई ओर करवा रहा है।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड द्वारा अभी तक कोई खनन नहीं करवाया जा रहा है। यह अवैध खनन है या किसी ओर का आंबटित खनन पट्टा हो सकता है। खनन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि यहां पर एक अन्य खनन पट्टा आंबटित हुआ था, परन्तु उसकी वैधता जून माह में समाप्त हो चुकी है और उसके बाद कोई भी खनन पटटा आंबटित नहीं हुआ है। अतः हम इसका निरीक्षण कर लेगें।
		उन्होंने पूछा कि यदि खनन पट्टा की स्वीकृति अवधि पूरी हो चुकी है तो वह खनन कैसे हो रहा है?	अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है तथा उपस्थित खनन विभाग के अधिकारी को आपकी मौजूदगी में निरीक्षण के आदेश दे दिए गये हैं, ताकि वास्तिविक स्थिति का पता चल सके और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सके।
		उन्होंने आग्रह किया कि आप इसी समय मौके पर चल कर इसका निरीक्षण भी कर सकते है।	
8	श्रीमति शकुन्तला देवी, प्रधान ग्राम पंचायत आलमपुर, जिला कांगडा हि0प्र0।	उन्होंने पूछा कि यह खनन परियोजना एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड की है तो इसमें यहां के गरीब परिवारों को क्या फायदा होगा, क्या उन्हे घर बनाने के लिए सामान भी दिया जाएगा।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में लगभग 75 लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और लोग अपनी गाडियां भी खनन परियोजना में लगा सकते हैं। इसमें 10 रुपये प्रति टन ग्रांम पंचायत को मिलेगें और यह खनन सामग्री 81,000 एमटीपीए है। इतना खनन होने पर लगभग 8,00,000 रुपये मिलेंगें और यह राशि जिला मिनरल फंड में जाएगी, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त, कांगड़ा है, आप इस राशि के लिए अध्यक्ष उपायुक्त, कांगड़ा से सम्पर्क कर सकते है और इसे अपनी पंचायत के विकास में खर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एस0जे0वी0एन0 लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत 05 बांध बनवाए जाने हैं, जिन्हें आप पंचायत की सुविधानुसार बता सकते है कि यह बांध कहां बनाए जा सकते हैं।
		उन्होंने पूछा कि यहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए भी सामान प्रदान दिया जाएगा।	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि यह खनन केवल पहले से स्थापित क्शर के लिए है, यह बेचने के लिए नही है। अतः यहां से मैटीरियल नही दिया जा सकेगा।
		अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि इस प्रस्तावित परियोजना में सामान की कोई भी खरीद या बेच नहीं होगी। सारी सामग्री का उपयोग पहले से स्थापित क्शर में डैम के कार्य के लिए होगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने आग्रह किया कि इस परियोजना के सम्बन्ध में किसी के	

		ओर भी सुझाव, विचार हैं, तो वह व्यक्त कर सकते हैं ।	
9	श्री भरत भूषण, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने पूछा कि जो 02 खनन पट्टों के आंबटन की बात हो रही है उसके लिए हमने पहले भी समाचार पत्रों या अन्य माध्यमों से बताया है कि खनन चाहे कानूनी रुप से हो या गैर कानूनी रुप से हो, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। इसके लिए हमने सी0एम0 हैल्प लाईन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसका आप विवरण देख सकते हैं। इस क्षेत्र का निरीक्षण करने पर आपको पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।	————————
		अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि इस जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की लिखित व वीडियोग्राफी की जा रही है, जिसकी प्रति आप मेरे कार्यालय या प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की वेवसाईट से भी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त उन्होंने परियोजना के सम्बन्ध मे सभी उपस्थित लोगों से कोई सुझाव, विचार एवं आपेक्ष प्रकट करने हेतू पुनः आग्रह किया।	
10	श्री अंग्रेश सियाल, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित खसरा न0 के साथ मेरी जमीन का खसरा न0 740 है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब खनन होगा तो गाडियां कहां से जाएगी और मैटिरियल कहां से होकर गुजरेगा?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि खनन के प्रस्तावित खसरा न0 से ही किया जाएगा। यदि आपकी जमीन बीच में है तो आपकी अनुमति से ही गाडियां आपकी जमीन से होकर जाएंगी और बिना आपकी अनुमति से नहीं जाएंगी।
		उन्होंने पूछा कि हम इतनी बड़ी संस्था को कैसे रोक पाएगें?	परियोजना के परामर्शदाता द्वारा बताया गया कि आप इनके साथ बात कर समझौता कर सकते हैं और इन्हे अनुमति प्रदान कर सकते हैं।
11	श्री अंशुमन सियाल, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि यहां पहले भी खनन हो रहा था, हमारी 200 कनाल जमीन साथ में लगती है। हमने सभी विभागों से इस बारे शिकायत की थी, परन्तु कोई सुनवाई नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त हमें खनन क्षेत्र की कोई जानकारी नहीं होती है कि यह कहां तक है। यहां भी बैसा ही होगा। और यह हमारी बात तक नहीं सुनेगें।	खनन विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि हमें अभी तक इस सन्दर्भ में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
		उन्होंने बताया कि हम कल से खनन विभाग के अधिकारी को फोन कर रहें हैं पर वह फोन नही उठा रहें हैं। जब पुलिस विभाग से इस बारे सम्पर्क किया जाता है, तो उनका जबाव होता है कि हम एम फार्म ही चैक करते हैं। यहां हमारा खसरा न0 746 है और जहां से यह गाडियां लेकर जाएगें, वहां भी हमारी ही जमीने हैं और इसमें पहले ही मामला मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन है। तो यह गाडियां	अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित खनन विभाग के अधिकारी को शिकायत दर्ज करने शिकायतकर्ता की मोजूदगी में निरीक्षण करने और नियमानुसार कार्यवाही करने आदेश दिए गये। इसके अतिरिक्त परियोजना के परामर्शदाता ने बताया कि जब परियोजना पर्यावरण मंजूरी के लिए जाती है तो उसमें मार्ग बारे भी पूछा जाता है कि मार्ग है या नहीं है। और अगर

		कहां से लेकर जाएंगे। उन्होंने बताया कि खनन होने पर खड्ड का पानी दूसरी तरफ जाएगा और पिछली बार भी भारी बरसात के कारण सारी स्कीमें बर्वाद हो गई थीं।	यह नीजि भूमि है तो पहले इनकी अनापत्ति लेनी पड़ेगी अन्यथा खनन कैसे होगा। उन्होंने कहा कि खनन होने के कारण पानी का स्तर और नीचे हो जाएगा और पानी नहीं आएगा।
12	श्री भरत भूषण, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि प्रस्तावित खसरा न0 सयाल जी की जमीन के उपर है, यदि सयाल जी, उन्हे रास्ता नही देते हैं तो वह कहां से जाएगें।	अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि इस बारे पहले ही परियोजना के परामर्शदाता द्वारा अवगत करवा दिया गया है कि नीजि भूमि की स्थिति में बिना अनापत्ति पत्र के कार्य नहीं होगा।
13	श्री अशुमन सियाल, निवासी बाग आलमपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0।	उन्होंने बताया कि हमने परियोजना को अपनी जमीन नही दी है और वह बिना अनुमति ही कार्य कर रहे हैं। न ही तो उचित रेट दिए जाते हैं, इसके लिए हमारा मामला पहले ही मान्नीय न्यायालय में विचाराधीन है।	--------

इसके अतिरिक्त जन सुनवाई के दौरान लिखित में कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायतें, प्राप्त नहीं हुई।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित सभी का धन्यवाद किया गया और कहा कि सभी द्वारा अपने सुझाव निसंकोच किसी भय एवं दवाव के व्यक्त किए गये और इस बारे जो भी सुझाव दिए गये है, जिसकी संपूर्ण कार्यवाही को लिखित व वीडियोग्राफी द्वारा भी रिकार्ड किया गया है। जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा और इस पर आगामी निर्णय बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारी गण एवं प्रधान, व स्थानीय निवासियों का जन सुनवाई में आने के लिए धन्यवाद किया।

अंत में ई0 वरुण गुप्ता, सहायक पर्यावरण अभियंता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा पर्यावरण जन सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का जन सुनवाई में भाग लेने का आभार प्रकट किया ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ,
जिला कांगड़ा हि.प्र.

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD
"Him Parivesh Bhawan", Regional Office Dharamshala,
Near GSSS, Dari, Tehsil Dharamshala, Distt.-Kangra (H.P.), PIN 176057
Phone No. 01892-222628

Website: http://hppcb.nic.in
e-mail: pcbrojassur@gmail.com

No: - PCB/P.H/RO(D/sala)/2022- 6737-38
Date: 13/02/2023

To

The Mining Officer,
Kangra at Dharmashala,
Tehsil Dharamshala, District Kangra H.P..

Subject: **Environmental Public Hearing for Environmental Clearance conducted on date: 09/01/2023 on the proposal submitted by SJVN LTD., Corporate Head Quarter, Shakti Sadan, Shimla, H.P. for extraction/collection of sand, stone and bajri (mining of minerals) @ 81,000 MT/year at Khasra no. 744/1 & 748, area measuring 04-83-07 Hect. (Private Land) falling in Mohal Bag, Mauza Alampur, Up Tehsil Alampur, Distt. Kangra, H.P.**

Sir,

It is informed that Environmental public hearing on the proposal submitted by SJVN Ltd., Corporate Head Quarter, Shakti sadan, Shimla, H.P. for Extraction/collection of Sand, Stone and Bajri (Mining of minerals) @ 81,000 MT/Year at Khasra no. 744/1 & 748, falling in Mohal Bag, Mauza Alampur, Up Tehsil Alampur, Distt. Kangra, H.P. was held on date: 09/01/2023 at 11:30 AM. at Gram Panchayat Alampur, Samudayik Bhawan (Community Hall), Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra, H.P.

During the hearing, it was appraised by the local residents Sh. Bharat Bhushan, Sh. Anshuman Siyal R/o Bag Alampur, District Kangra H.P .that illegal mining is being carried out in Alampur area and no action has been taken by the mining department. The official present from your department had already been directed during the public hearing to inspect the site in the presence of the complainants and initiate necessary action in the said matter as required.

You are hereby once again requested to look in the matter and take necessary action under intimation to complainants and undersigned please.

Additional District Magistrate
Kangra at Dharamshala

Copy to:

1. The Sub Divisional Magistrate, Jaisinghpur, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra, H.P. for information & necessary action please.

Additional District Magistrate
Kangra at Dharamshala